न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी – **श्री प्रमोदकुमार सिंधव** आर.ए.एस.)

मिसल नं 835 / दावा / 2017
दायरा दि0 12 / 09 / 2017

उनवान

1. रामचंद्र पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी केथूनी तह0 खानपुर
2. शिशुपाल पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी केथूनी तह0 खानपुर

— वादीगण

बनाम्

1. छीतरलाल पुत्र श्रीलाल जाति मीणा निवासी केथूनी तह0 खानपुर
2. मन्जूबाई पुत्री छीतरलाल जाति मीणा निवासी केथूनी तह0 खानपुर
3. सुमित्राबाई पुत्री छीतरलाल जाति मीणा निवासी केथूनी तह0 खानपुर
4. शाखा प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरीगढ़ तह0 खानपुर
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब तह0 खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – वादी
श्री अनिल मेहता अधिवक्ता –प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 11 / 06 / 2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद धारा 88, 89, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम केथूनी तह0 खानपुर की जमाबंदी सं0 2070–73 की खतौनी सं0 25 की ख0नं0 102 रकबा 42.00 बीघा, ख0नं0 103 रकबा 1.04 बीघा, ख0नं0 111 रकबा 9.00 बीघा, ख0नं0 137 रकबा 4.16 बीघा, ख0नं0 143 रकबा 4.03 बीघा, ख0नं0 156 रकबा 1.17 बीघा, ख0नं0 160 रकबा 3.11 बीघा, ख0नं0 184 रकबा 0.06 बीघा, ख0नं0 212 रकबा 2.05 बीघा, ख0नं0 213 रकबा 6.18 बीघा कुल 10 किता रकबा 76.00 बीघा आराजी प्रतिवादी नं0 1 छीतरलाल के खाते एवं कब्जे काश्त की है। पूर्व में यह आराजी वादीगण के दादा श्रीलाल के खाते में दर्ज थी। श्रीलाल जी की मृत्यु के पश्चात यह उनके पुत्र प्रति0नं0 1 छीतरलाल के खाते दर्ज हुई है। इस प्रकार यह आराजी वादीगण की पुश्तैनी संम्पत्ति है, जिसमें वादीगण को जन्म से अधिकार है व वादीगण हिन्दू विधि व सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून के अनुसार आराजी के खातेदार टीनेंट घोषित होने के अधिकारी हैं प्रति0नं0 1 छीतरलाल की हम 4 संतान वादीगण रामचंद्र, शिशुपाल व प्रति0 2, 3 क्रमशः मंन्जूबाई, सुमित्राबाई मौजूद हैं। प्रति0नं0 2, 3 ने अपने पिता से विरासत में प्राप्त होने वाली आराजी को अपने दोनों भाई व पिता छीतरलाल के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

हक त्याग दिया है। इस प्रकार विवादग्रस्त आराजी में वादी रामचंद्र का 1/3 हिस्सा व वादी शिशुपाल का 1/3 हिस्सा तथा प्रति0नं0 1 छीतरलाल का 1/3 हिस्सा है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 2/3 हिस्से के खातेदार टीनेंट घोषित होने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी आराजी को अंतरण करने के लिये प्रयासरत है। यदि ऐसा हो गया तो वादीगण इस पुश्तैनी आराजी में प्राप्त होने वाले हिस्से से वंचित हो जायेंगे। अतः वाद पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि वाद, वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध मय खर्चा डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम केथूनी की वादग्रस्त 10 किता की 76.00 बीघा आराजी में वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी वादीगण को दिलवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राज.) ★

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बाजवूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी तथा वादीगण को अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। दिनांक 04.06.2019 को अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादी रामचंद्र के बयान दर्ज कराये तथा नकल जमाबंदी सं0 2070–3 खाता सं0 25 ग्राम केथूनी प्रदर्श करायी गयी। तत्पश्चात पक्षकारान ने अपने–अपने अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया कि " *उक्त उनवान के प्रकरण मे वादीगण व प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर दिया है। राजीनामा निम्न प्रकार है। यह कि आराजी खातौनी संख्या नई 25 पुरानी 26 ख0नं0 102 रकबा 42.00 बीघा, ख0नं0 103 रकबा 1.04 बीघा, ख0नं0 111 रकबा 9.00 बीघा, ख0नं0 137 रकबा 4.16 बीघा, ख0नं0 143 रकबा 4.03 बीघा, ख0नं0 156 रकबा 1.17 बीघा, ख0नं0 160 रकबा 3.11 बीघा, ख0नं0 184 रकबा 0.06 बीघा, ख0नं0 212 रकबा 2.05 बीघा, ख0नं0 213 रकबा 6.18 बीघा कुल 10 किता रकबा 76.00 बीघा आराजी कैथूनी तहसील खानपुर वादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा, वादी नं0 2 का 1/3 हिस्सा, प्रति0नं0 1 का भी 1/3 हिस्सा है। वादीगण को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। प्रतिवादी नं0 2, 3 आराजी में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। हमारे हिस्से की आराजी हम वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 के हक में छोड़ दिया है। यह राजीनामा हमने बिना किसी दाब दबाव व हमारे स्वतंत्र इच्छा से किया है जो सही है। हम पक्षकार राजीनामें से सहमत है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। अतः राजीनामा पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जावे।* " पक्षकारान द्वारा राजीनामें को सही एवं सत्य होना, राजीखुशी से आलेखित कराना स्वीकार करने एवं पूर्ण रूप से सहमत होने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम केथूनी 10 किता की 76.00 बीघा वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति है। यह वर्तमान में वादीगण के पिता प्रति0नं0 1 छीतरलाल के खाते दर्ज है। हमने राजीनामा पेश कर दिया है जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। प्रति0नं0 2, 3 ने अपना हिस्सा हमारे हक में छोड़ दिया है। अतः राजीनामे के अनुसार वादी नं0 1 को

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

1/3 हिस्से, वादी नं0 2 को 1/3 हिस्से व प्रति0नं0 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रकट किया हमने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश कर दिया है। अतः राजीनामा के अनुसार निर्णय करने में हम सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। नकल जमाबंदी प्रदर्श-1 के अनुसार ग्राम केथूनी तह0 खानपुर की खतौनी सं0 नई 25 पुरानी 26 की 10 किता रकबा 76.00 बीघा आराजी प्रतिवादी नं0 1 छीतरलाल के खाते एवं कब्जे काश्त की है। वादीगण ने हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अन्तर्गत इस पुश्तैनी आराजी में अपना हक प्राप्त करने के लिये यह वाद पेश किया है। पक्षकारान ने दिनांक 04.06.2019 को अपने अपने अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है, जिसमें वादी नं0 1 को 1/3 हिस्से, वादी नं0 2 को 1/3 हिस्से व प्रति0नं0 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किये जाने की सहमति दी गयी है। साथ ही प्रति0नं0 2, 3 ने अपना हक उक्त पक्षकारान के हक में छोड़ना भी अंकित किया है। राजीनामें को पक्षकारान द्वारा सही एवं सत्य होना स्वीकार करने एवं पूर्ण रूप से सहमत होने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया है। ऐसे में लोक अदालत की भावना से हम इस प्रकरण का निर्णय प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वाद, वादी राजीनामा के अनुसार डिकी किया जाता है तथा ग्राम केथूनी तह0 खानपुर की जमाबंदी सं0 2070-73 की खतौनी सं0 नई 25 पुरानी 26 की कुल 10 किता रकबा 76.00 बीघा आराजी में वादी नं0 1 को 1/3 हिस्से, वादी नं0 2 को 1/3 हिस्से व प्रति0नं0 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। आराजी पर रहन का अंकन यथावत दर्ज हो। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 11/06/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)